विवरण 2ख

सं. अ. 2023-24 और ब.अ. 2024-25 के बीच व्यय के बड़े अंतरों का विवरण

वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में वर्ष 2024-25 के व्यय के बजट अनुमान में ₹ 3,30,026 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शायी गयी है। व्यय की मुख्य मदें, जिनमें भिन्नता आई है, को नीचे दर्शाया गया हैः-

(₹ करोड़)

		संशोधित 2023-24	बजट 2024-25	अन्तर कमी(-)/ वृद्धि(+)
1	ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती	1055427	1162940	(+) 107513
2	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं (पूंजीगत परिव्यय सहित)	6501	74467	(+) 67966
3	राज्य/संघ राज्य सरकारों को अनुदान	590531	641459	(+) 50928
4	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	115557	162412	(+) 46855
5	रक्षा सेवाओं के संबंध में पूंजीगत परिव्यय	157228	172000	(+) 14772
6	पुलिस (पूंजीगत परिव्यय सहित)	126059	140672	(+) 14613
7	अन्य संचार सेवाओं के संबंध में पूंजीगत परिव्यय	69224	83478	(+) 14254
8	रेलवे संबंधी पूंजीगत परिव्यय	240000	252000	(+) 12000
9	नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा	7100	17553	(+) 10453
10	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	13105	22472	(+) 9367
11	सिविल आपुर्ति	137	9107	(+) 8970
12	अन्य व्यय	2109617	2081952	(-) 27665
	कुल व्यय	**4490486**	**4820512**	**(+) 330026**

के कारण

1. बाजार ऋण, रोकड़ प्रबंधन बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, बाह्य ऋण, लघु बचत, भविष्य निधि और ऋण में कमी के लिए प्रीमियम पूर्व भुगतान के कारण ब्याज के भुगतान में वृद्धि।
2. नई योजनाओं और स्वर्ण आरक्षित निधि में अधिक अंतरण के लिए बडें केन्द्रीकृत प्रावधान किए गए।
3. प्रारंभिक शिक्षा कोष, जीएसटी प्रतिपूरक निधि में अधिक अंतरण, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण एवं शहरी संघटकों के लिए अधिक प्रावधान।
4. राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता हेतु अधिक प्रावधान।
5. सशस्त्र बलों के पूंजीगत व्यय के लिए अधिक आवश्यकता।
6. सीमा प्रबंधन सहित केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बलों और पुलिस अवसंरचना।
7. बीएसएनएल में पूंजीगत निवेश के लिए अधिक प्रावधान किए गए ।
8. सांवटेन ग्रीन फंड, नई लाइनों का निर्माण, यात्री सुविधाएं, यातायात सुविधाएं, रोलिंग स्टॉक और पट्टे पर दी गई आस्तियों के पूंजीगत घटकों आदि द्वारा वित्तपोषित योजनाओं हेतु अधिक अवसंरचना।
9. नई योजनाओं की शुरुआत अर्थातः पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना।
10. नई योजनाओं की शुरुआत अर्थात् देश-भर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई रोजगार सृजन योजना।
11. दलहनों, प्याज और आलू के वफर स्टॉक के रखरखाव के मूल्य स्थरीकरण के लिए अधिक प्रावधान।